संख्या-17/2019/1236/53-2-19-151(विविध)/16

प्रेषक,

बिन्द गोपाल द्विवेदी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास विभाग,
उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 09 अक्टूबर, 2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में "सी0जी0 सिटी लखनऊ में नवनिर्मित प्रशिक्षण केन्द्र में कम्प्यूटर लैब की स्थापना" योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। (अनुदान संख्या-16)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, लखनऊ के पत्रांक-15/दुग्ध-4/नियो0/ सी0जी0 सिटी/ 2019-20, दिनांक- 02 अप्रैल, 2019, पत्रांक-226/दुग्ध-4/नियो0/ सी0जी0सिटी/ 2019-20, दिनांक- 22 जुलाई, 2019 एवं पत्रांक-479/दुग्ध-4/नियो0/सी0जी0सिटी/2019-20, दिनांक- 03 अक्टूबर, 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत सी0जी0 सिटी लखनऊ में नवनिर्मित प्रशिक्षण केन्द्र में कम्प्यूटर लैब की स्थापना योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 47.00 लाख (रू0 सैतालीस लाख मात्र) एकमुश्त आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र. सं.	मद	इकाई	इकाई लागत (लाख रू0 में)	अभियुक्ति
1	सीडीटीआरआई भवन विस्तार(सीडीटीआरआई भवन व एसएसपी गोडाऊन के मध्य-भू तल व प्रथम तल)	01	47.00	हास्टल स्टोर-11.25 लाख, वेटरनरी फार्स्ट एड केन्द्र व स्टोर-8.75 लाख लायब्रेरी एवं कामन रूम-7.00 लाख एवं गैरेज-20.00 लाख

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु है। धनराशि का व्यय जिन कार्यो/मदों हेतु अनुमन्य है उसी प्रयोजन में व्यय की जायगी। किसी अन्य मद में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(2) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/ सहमति आवश्यक है उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/ सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।

(3) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाये तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/ संगत नियमों में उल्लिखित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/ धनराशि का उपयोग करने वाले किसी प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा और धनराशि किसी भी स्तर पर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(5) वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृति धनराशि का अन्तिम उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 के अधीन लेखा शीर्षक ''2404-डेरी विकास- 102-डेरी विकास परियोजनायें-109-विस्तार तथा प्रशिक्षण-04-सी0जी0 सिटी, लखनऊ में नवनिर्मित प्रशिक्षण केन्द्र में कम्प्यूटर लैब की स्थापना-35- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक- 22 मार्च, 2019 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

भवदीय,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या-17/2019/1236(1)/53-2-2019, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम), उ0प्र0 प्रयागराज।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार-लेखा परीक्षा (प्रथम) सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
7- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- मुख्यकोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
11- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी, उ0प्र0।
12- मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।
13- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।